संख्या-3646/15-7-16(331)/1998

प्रेषक,

श्री अशोक [illegible],
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
[illegible]
[illegible]
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

लखनऊ: दिनांक: 31 अगस्त, 1998

शिक्षा (7) अनुभाग

विषय:- नीहार मीरा नेशनल हायर सेकेण्डरी स्कूल अलीगढ़ को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नीहार मीरा नेशनल हायर सेकेण्डरी स्कूल अलीगढ़ को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(3) विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से प्रदेश से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(5) संस्था शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

Attested
Neehar Meera National Senior Secondary School * Aligarh *
Principal
20/06/25
Neehar Meera National Senior Secondary School * Aligarh *
Manager

16। कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुरूप सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उसका पालन करेगी ।

18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संस्था द्वारा नये भवन का निर्माण मानकानुसार शीघ्र सुनिश्चित किया जाय ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

Attested 06/25

Neehar Meera National Senior Secondary School ★ Aligarh ★ Principal

भवदीय,

अशोक गांगुली।
संयुक्त सचिव ।

Neehar Meera National Senior Secondary School ★ Aligarh ★ Manager

पृ0सं0 3646(1)/15-7-1998 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़ ।
4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0 लखनऊ ।
5- प्रबन्धक, नीहार मीरा नेशनल हायर सेकेण्डरी स्कूल, मैरिस रोड अलीगढ़ ।

आज्ञा से,

अशोक गांगुली।
संयुक्त सचिव ।